दिनांक 27.05.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

एक मुश्त संपत्तिकर की राशि 31may तक जमा कर 6.25 प्रतिशत का लाभ उठाए

भिलाईनगर। निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओ को सुविधा प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 का एक मुश्त संपत्तिकर की राशि 31मई तक जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रदान कर रहा है

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर संपत्तिकर विभाग ने निगम क्षेत्र के भवन मालिको की सुविधा के लिए वेबसाईट https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ लाॅच किया है, जिसमें संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है। निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउन्टर है।

गौरतलब है कि 1 अप्रेल से 31 मई तक संपत्तिकर राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत छूट प्रदान किया जा रहा है भवन स्वामी अपना संपत्तिकर राशि जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते है। अवकाश के दिनों में भी नगर निगम का काउंटर संपत्ति का जमा करने के लिए खुला रहेगा हितग्राही पहले जमा करके उसका लाभ ले सकते हैं